दूरभाष: / **Ph. :** 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj.
roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं0.जी00645 / स्था0-254/2022 दिनांक 7/10/2022

To, E-Mail/Registered Post

The Registrar,
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail-judicial-ngt@gov.in

Subject:- Compliance of direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application 422/2022 Mohammad Saleem Farukhi Vs. State of U.P. in order dated 13-07-2022.

Sir,

With reference to the subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on 13-07-2022 by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application 422/2022 Mohammad Saleem Farukhi Vs. State of U.P. The factual & action taken report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Encl:-As Above.

Your Sincerely

7/10/22

(R. K. Singh)
Regional Officer

Copy to:-

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
2. District Magistrate, Prayagraj for information.
3. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
5. Sri Pradeep Misra, Advocate Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.

Regional Officer

Inspection report of joint committee comprising of State PCB, DFO and Deputy Commissioner, Prayagraj in compliance of the Order dated 13.07.2022 passed by Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 422/2022 Mohammad Saleem Farukhi Vs State of U.P.

Considering the petitioner's application No. 422/2022 Mohammad Saleem Farukhi Vs State of U.P. on the alleged irragularities in the operation of one saw mill under license No. ALD 54/11-12 owned by Mr. Mohammad Tayab son of Mohammad Musafir, village Chakra Kasimpur @ Phoolpur Block Sikandra, District Allahabad (now Prayagraj) under the administrative jurisdiction of Social Forestry Division, Prayagraj, the Hon'ble Tribunal has passed an order dated 13.07.2022. Which reads as followes:-

"....1. Mohammad Saleem Farukhi resident of 10 Avadh Bihari Lal Road Pratapgarh has sent the present letter petition, which has been treated and registered as original application, complaining that Mohammad Tayab son of Mohammad Musafir is running sawmill (aarra machine) in village Chakra Kasimpur @ Phoolpur Block Sikandra, District Allahabad (now Prayagraj) under licence No. ALD 54/11-12. The project proponent has illegally shifted the location of sawmill (aarra machine), in Khasra No. 00010 Khatauni No. 1375, from its license sight to the Lilhat Phoolpur, Allahabad. As per the Uttar Pradesh Establishment and Regulation of Saw-Mills Rules, 1978 saw mill cannot be established within 10 kilometers of forest area but the above sight is within 4 kilometers from the forest area. The above said sawmill (aarra machine) is also situated at the distance of one thousand meters from the road and green trees are being cut in the same day and night. Only one vertical band saw machines can be used under above said licence as per State Level Committee Letter No. LSC1130/41-1 dated 01.10.2010 but the project proponent is using more than one vertical band saw machines.

2. In view of the averments made in the application, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof by the concerned Statutory Authorities. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB, DFO and Deputy Commissioner, Prayagraj and direct the same to undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take remedial action in accordance with law by following due process. the State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.

3. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. ......"

On receiving the copy of the above order, a joint inspection of the saw mill licence No. ALD 54/11-12 owned by Mr. Mohammad Tayab son of Mohammad Musafir situated in village Lilahat, Phoolpur, District Prayagraj was conducted by Mr. Mahaveer Koujalagi, Divisional Forest Officer, Social Forestry Division, Prayagraj, Mr. R.K. Singh, Regional Officer, Prayagraj, U.P PCB and a representative of Deputy Commissioner, Prayagraj on dated 01.10.2022 along with Forest Range Officer, Sri Ashok Kumar and concerned Sub Divisional Forest Officer Mr. Sanjay Sharma and other staff. The owner of saw mill Mr. Mohammad Tayab was not present on the site but his two sons Mr Belal and Mr. Iqbal were present on the site for verification of records and inspection.

Inspection was carried out by looking into the grievances of the petitioner as quoted in the instant order of the Hon'ble Tribunal dated 13.07.2022.

1. "The project proponent has illegally shifted the location of sawmill (aarra machine), in Khasra No. 00010 Khatauni No. 1375, from its license sight to the Lilhat Phoolpur, Allahabad."

The saw mill with license No.ALD 54/11-12 owned by Mr. Mohammad Tayab, as per the office records and the license, is established at Lilahat, Phoolpur since the issue of the license. There

are no records indicating the shifting of the saw mill from some where to the present location. And the present location only is written in the license also. Hence the claims of the petitioner are ruled out for lack of evidence.

2. "As per the Uttar Pradesh Establishment and Regulation of Saw-Mills Rules, 1978 saw mill cannot be established within 10 kilometers of forest area but the above sight is within 4 kilometers from the forest area."

As per the Uttar Pradesh Establishment and Regulation of Saw-Mills Rules, 1978 (rule-3) mandates that any new saw mill shall not be established within the distance of 10 kilometers from the boundry of any reserve/protected forest area. In this regard to check the factual position of the saw mill in question the G.P.S. Coordinates of the existing site of saw mill was recorded as N. 25 °.33'36.11375, E. 82 °.5'2.42796. Whereas the G.P.S. Coordinates of nearest recorded reserve forest land in the Forest Division is N. 25°08 25.06" N. 82 ° .06 17.64" (Meja Forest Block Tehsil Meja, District- Prayagraj), whose aerial distance from the saw mill in question is about 39.1 kms. Hence the question of establishing the saw mill within 4 kilometers as claimed by petitioner is ruled out. (Copy of District Magistrate N.O.C. dated 10.03.2011 as **Annexure No.1**)

3. "The above said sawmill (aarra machine) is also situated at the distance of one thousand meters from the road and green trees are being cut in the same day and night."

Inspection was carried out regarding above claims of the petitioner, the saw mill is present at an approximate distance of around 200 meters from Phoolpur- Mubarakpur link road. It was observed that the establishment/timber storage is not obstructing the passage of any of the roads. It was also enquired and found no such evidences of green tree felling in and around the saw mill campus for the purpose of establishment of the saw mill.

4. "Only one vertical band saw machines can be used under above said licence as per State Level Committee Letter No. LSC1130/41-1 dated 01.10.2010 but the project proponent is using more than one vertical band saw machines."

As per the conditions under which the licence No. ALD 54/11-12 issued, the unit is eligible for only one vertical band saw. Horizontal band saw (with trolly or without trolly) not permitted. (Copy of the license as **Annexure No.2 and** Copy of the State Level Committee Letter No. LSC1130/41-1 dated 01.10.2010 as **Annexure No.3**)

At the time of inspection one vertical band saw was found installed and in working condition. However the instuments /equipments that make the component of the horizontal band saw were found kept under the wrap (uninstalled) in the premises of the saw mill in a suspicious manner. Indicating the possibility of illicit opportunistic use of the same. Based on this evidence, the legal procedings and further enquiry is being initiated against attempt to illegal installation horizontal band saw by registering a forest offence Range Case No. 49Ph/2022-23 dated 01.10.2022 and the saw mill was sealed until the completion of enquiry in the case.(Copy of forest offence Range Case No. 49Ph/2022-23 dated 01.10.2022 as **Annexure No.4**).

The factual and action taken report is submitted as per above details in compliance of the order of Hon'ble National GreenTribunal dated 13.07.2022 for kind consideration.

(Mahaveer Koujalagi)
Divisional Forest Officer,
Sicial Forestry Division
Prayagraj

(R.K. Singh)
Regional Officer, Prayagraj
U.P.Pollution Controll Board

ADM (E)
Prayagraj

Ann. – 1

सं. 2647 / A/A11 / Raj. II 3/011

उत्तर प्रदेश आरामिल नियमावली, 1978 के अध्याय–2 के नियम 5(4) के अन्तर्गत आरामिल स्थापित करने के लिए:–

"अनापत्ति प्रमाण पत्र"

1	आवेदक का नाम व पूरा पता।	श्री तैय्यब पुत्र श्री मुसाफिर, निवासी ग्राम– इस्लामाबाद तहसील– फूलपुर इलाहाबाद
2	आवेदित स्थान पर आरामशीन लकड़ी चिरान की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक है अथवा नही।	आवश्यकता है।
3	आवेदित स्थान पर आरामिल यूनिट चलाना व्यवहार्य(Viable) होगा अथवा नहीं।	उचित प्रतीत होता है।
4	आवेदित स्थान वन सीमा से 10 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है अथवा नही।	आवेदित स्थान वन सीमा से 10 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।
5	आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्यों विगत पॉच वर्षों में किसी वन अपराध के मामले में लिप्त रहे है अथवा नही।	लम्बित नही है।
6	संस्तुति	प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, इलाहाबाद की आख्या दिनांक 08.03.2011 व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग, इलाहाबाद की आख्या दिनांक 31.12.2010 के आधार पर इस शर्त के साथ संस्तुति की जाती है कि राज्जीय / राष्ट्रीय / लो0नि0वि0 / अन्य सार्वजनिक मार्गो के निर्धारित दूरी को छोड़ते हुए निर्माण अथवा लकड़ी का स्टाक इस प्रकार रखा जाय कि आवागमन में कोई व्यवधान न हो।

स्थान :– इलाहाबाद।
दिनांक :– 10 – 3 – 2011

(आलोक कुमार)
जिलाधिकारी, इलाहाबाद।

Ann.- 2

अनुसूची–दो

लाइसेंस संख्या–**ALD**– 54 /2011–12दिनांक: 21–03–2012

इमारती लकड़ी को काटने या परिवर्तित करने के लिये आरा मिल स्थापित करने, लगाने और चलाने के लिए लाइसेंस का प्रपत्र

इमारती लकड़ी को परिवर्तित करने/काटने के लिये स्थान ग्राम– लिलहट तहसील–फूलपुर, जिला इलाहाबाद (कारोबार स्थान का पूरा पता) में आरा मिल स्थापित करने/लगाने/चलाने के लिये **श्री मोहम्मद तैयब पुत्र श्री मुसाफिर निवासी ग्राम इस्लामाबाद** तहसील फूलपुर जिला– इलाहाबाद (पूरा पता) जिसे आगे लाइसेंसधारी कहा गया है) को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये और निम्नलिखित पतों पर एतद्द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, अर्थात्–

शर्तें

1– यह लाइसेंस दिनांक 21–03–2012 को प्रारम्भ होकर और 31–12–2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा।

2– लाइसेंसधारी इमारती लकड़ी को परिवर्तित करने/काटने के लिये ग्राम लिलहट तहसील–फूलपुर, जिला इलाहाबाद (कारोबार–स्थान का पूरा पता उल्लिखित कीजिए) में आरा मिल स्थापित करेगा/लगायेगा या वर्तमान आरा मिल चलायेगा। इस स्थल का जी0पी0एस0 लोकेशन **N- 25° 33.610 ', E-082° 05. 049'** है।

3– लाइसेंसधारी सम्बद्ध प्रभागीय वन अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना, आरा मिल का स्थान नहीं बदलेगा।

4– लाइसेंसधारी ऐसा रजिस्टर और अभिलेख रखेगा और ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जैसा प्रभागीय वन अधिकारी लिखित रूप से निर्देश दें और अपेक्षा किये जाने पर वन विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी वर्ग के सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये उन्हें प्रस्तुत करेगा।

5– लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि –

(1) आरा मिल का स्थल जिसमें गोल इमारती लकड़ी, चिरी हुई इमारती लकड़ी और खेप लकड़ी के संग्रह के लिये प्रांगण भी सम्मिलित हैं, समुचित फाटकों से युक्त बाड़ा से घिरा है,

(2) समस्त गोल इमारती लकड़ी, चिरी हुई इमारती लकड़ी और खेप लकड़ी का समुचित संग्रह प्रभागीय वन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कर्मचारी वर्ग द्वारा समय–समय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार किया जाय।

(3) चीरने या परिवर्तित करने के लिए इमारती लकड़ी को तब तक स्वीकार न किया जाय जब तक उस पर सम्पत्ति चिन्ह न लगे हों और वह वन पारगमन–पत्र या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य, यथा इमारती लकड़ी के सौदागर या उसके किसी अन्य विक्रेता की रसीद के अन्तर्गत न आता हो,

(4) ऐसी इमारती लकड़ी को जो उपर्युक्त शर्त 5(3) की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो, परिवर्तित करने के लिये स्वीकार न किया जाय और ऐसी इमारती लकड़ी के सम्बन्ध में लिखित सूचना वन विभाग के किसी उपलब्ध कर्मचारी या निकटतम वन अधिकारी को तुरन्त दी जाय।

(5) आरा मिल तथा आरा मिल की भूग्रहादि में संग्रहीत इमारती लकड़ी वन विभाग के किसी अधिकारी या इस प्रयोजन के लिये नियुक्त वन विभाग के कर्मचारी वर्ग के किसी सदस्य या पुलिस उप निरीक्षक के पद से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण के लिये सभी समय सुलभ हों,

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित किसी प्राधिकारी द्वारा मांग करने पर लाइसेंस और समस्त सुसंगत अभिलेख परीक्षण के लिए प्रस्तुत किये जायें,

(7) लाइसेंस अन्तरणीय होगा और जहाँ इसे अन्तरित किया जाय। वहाँ अन्तरक साथ प्रभागीय वन अधिकारी को ऐसे अन्तरण की सूचना तुरन्त देगा और अन्तरिती उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक लाइसेंस धारण करेगा।

(8) इकाई को केवल एक वर्टिकल बैण्ड सॉ ही अनुमन्य होगा। होराजाईन्टल बैण्ड सॉ (ट्राली या बिना ट्राली के) अनुमन्य नहीं होगा।

(9) "यह लाइसेंस माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-04-2010 एवं सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के निर्देश दिनांक 26-05-2010 के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है, तथा भविष्य में प्रश्नगत इकाई का उत्तराधिकारी/वारिसान छोड़कर अन्य किसी प्रकार का स्वामित्व परिवर्तन/नामान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।"

(डा0एस0एन0मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, इलाहाबाद।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद।

पत्रांक- 5413 /22-10 दिनांक,इलाहाबाद, मार्च 21, ,2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- श्री मोहम्मद तैय्यब पुत्र श्री मुसाफिर निवासी ग्राम इस्लामाबाद तहसील फूलपुर जिला-इलाहाबाद।
2- क्षेत्रीय वन अधिकारी, फूलपुर।
3- उप प्रभागीय वनाधिकारी, फूलपुर।
4- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद।
7- राजस्व लिपिक/शिविर लिपिक, कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, इलाहाबाद।
8- गार्ड बुक।

(डा0एस0एन0मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, इलाहाबाद।

Ann. - 3

मा० उच्चतम न्यायालय आदेश/सर्वोच्च प्राथमिकता

राज्य स्तरीय समिति, उत्तर प्रदेश

(माननीय उच्चतम न्यायालय की सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी द्वारा रिट याचिका संख्या–202/1995 आई०ए० संख्या 1399 के अन्तर्गत गठित)

अरण्य विकास भवन, 21/475, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226016 फोन/फैक्स नं० 0522–2716602 Email-slcupstate@gmail.com

पत्रांक–एस०एल०सी० 1130/41–1

लखनऊ, दिनांक, अक्टूबर 01, 2010

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक/सह सदस्य जिला स्तरीय समिति,

इलाहाबाद।

विषयः रिट याचिका संख्या–202/1995 में मा० उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.04.2010 को पारित आदेश के अनुपालन में ऐसे आरामशीनों को जिन्होंने वर्ष 1989 का शुल्क जुलाई 1989 के बाद जमा किया है एवं वर्ष 1989 से वर्ष 1995 तक लाइसेंस शुल्क जमा किया गया, को लाइसेंस निर्गत करने के सम्बन्ध में।

रिट याचिका संख्या–202/1995 में मा० उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.04.2010 को पारित आदेश के अनुपालन में व सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के बैठक दिनांक 26.05.2010. ऐसे आरामशीनों को जिन्होंने वर्ष 1989 का शुल्क जुलाई 1989 के बाद परन्तु दिनांक 04.03.1997 के पूर्व जमा किया हो एवं वर्ष 1995 तक का लाइसेंस शुल्क एकमुश्त या किश्तों में दिनांक 31.03.1997 के पूर्व जमा किया गया, को नया लाइसेंस निर्गत करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

(अ) आरामशीन इकाई उ०प्र० आरामशीन नियमावली एवं उ०प्र० वन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी मार्ग निर्देशों का पालन करना पड़ेगा।

(ब) आरामशीन इकाई के विरुद्व प्रकाष्ठ के अवैध प्रयोग या अवैध परिवहन का मामला लम्बित न हो।

(स) आरामशीन इकाई द्वारा सामान्य लाइसेंस/नवीनीकरण शुल्क के अतिरिक्त एकमुश्त धनराशि का रु० 50,000/– जमा करना होगा।

(द) इकाई को केवल एक वर्टिकल बैण्ड सॉ ही अनुमन्य होगा चाहें पूर्व में इकाई के पास कितनी भी बैण्ड सॉ स्थापित हो। होराजाइन्टल बैण्ड सॉ ट्राली या बिना ट्राली के अनुमन्य नहीं होगा।

राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक 29.09.2010 की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त आपके प्रभाग के उक्त वर्णित शर्तो को पूरा करने वाली निम्न आरामिल को नया लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया हैः–

Name of Division	Name of sawmill owner (as per entry in the E-3 Receipt/ challan	Place / address of sawmill	The period / years for which the fee have been deposited	Details of the fees	
				Year	E-3 receipt/ challon no. & date
1	2	3	4	5	6
Allahabad	Mohd. Taiyab S/o Musaphir R/o Village-Islamabad, Phulpur, Alld.	Village- Lilhat, Phulpur, Alld.	1989 to 1999	89 to 99	E-3 No. 127304 Dt. 30.1.97

अतः राज्य स्तरीय समिति के निर्देशानुसार उक्त इकाई के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही करने के उपरान्त आरामशीन लाइसेंस निर्गत करने की कार्यवाही करें। इसकी अनुपालन सूचना इस कार्यालय को इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंः–

1– उक्त आरामिल जहाँ स्थापित थी, उसी स्थल हेतु एवं एक वर्टिकल बैण्ड सॉ (10 हार्सपावर या इसके अन्तर्गत) लाइसेंस निर्गत किया जाय।

2– उक्त इकाई को एक नया लाइसेंस होगा जिसे केवल शुल्क जमा करने वाले व्यक्ति के नाम ही निर्गत किया जायेगा। उस व्यक्ति की मृत्यु की दशा में उसके कानूनी उत्तराधिकारी के नाम ही लाइसेंस निर्गत किया जाय।

3– कृपया सुनिश्चित कर ले कि प्रश्नगत आरामिल की उ०प्र० आरामिल स्थापना विनियमन नियमावली 1978 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने हेतु समस्त अर्हताओं को पूरा करता है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सम्मिलित है।

4– वर्ष 1989 से 1995 तक उपरोक्त तालिका में दर्शाये ई–3 के प्रमाणिकता की पुष्टि पुनः अपने स्तर से कर लें अन्यथा किसी भी त्रुटि के लिये स्वयं जिम्मेदार होगें। प्रश्नगत आरामिल के वर्ष 2010 तक जिन वर्षो हेतु निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया गया है, उन वर्षो का निर्धारित लाइसेंस शुल्क प्रश्नगत आरामिल मालिक से जमा करा लें।

5– इस प्रकार निर्गत किये जाने वाले नये लाइसेंस में यह प्रविष्टि की जाये कि ***"यह लाइसेंस मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.04.2010 एवं सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के निर्देश दिनांक 26.05.2010 के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है तथा भविष्य में प्रश्नगत इकाई का उत्तराधिकारी/वारिसान छोड़ कर अन्य किसी प्रकार का स्वामित्व परिवर्तन/नामान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।"***

6– प्रश्नगत आरामशीनो से सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के द्वारा निर्धारित एकमुश्त धनराशि रु0 50,000/– (पचास हजार मात्र) जमा करायी जाय। प्रश्नगत इकाई से CMF-A/C-WOOD BASED INDUSTRIES NO. 08700100011221 के नाम लखनऊ के किसी बैंक पर देय क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर वन उपयोग अधिकारी, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद इकाई द्वारा उक्त एकमुश्त धनराशि जमा की जाती है तो विलम्ब की अवधि के लिये 15 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज भी देना होगा।

7– साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि वर्तमान में आरामशीन इकाई के विरुद्व प्रकाष्ठ के अवैध प्रयोग या अवैध परिवहन का मामला लम्बित न हो।

प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित होने के कारण समयबद्व एवं महत्वपूर्ण है। अतः इस सम्बन्ध में आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

(सी0पी0 गोयल)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति,
उ0प्र0, लखनऊ

<u>पत्र संख्या–एस0एल0सी–   (1)/तददिनांकित</u>

प्रतिलिपि जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा उक्त आरामिल को विनिर्दिष्ट समयावधि के अन्तर्गत लाइसेंस निर्गत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

(सी0पी0 गोयल)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति,
उ0प्र0, लखनऊ

<u>पत्र संख्या–एस0एल0सी–   (2)/तददिनांकित</u>

प्रतिलिपि वन संरक्षक, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत वन प्रभाग में राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराके इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(सी0पी0 गोयल)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति,
उ0प्र0, लखनऊ

<u>पत्र संख्या–एस0एल0सी–   (3)/तददिनांकित</u>

प्रतिलिपि श्री मो0 तैयब पुत्र श्री मुसाफिर नि0–इस्लामाबाद, लिलहट, फूलपुर जिला इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सी0पी0 गोयल)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति,
उ0प्र0, लखनऊ

Ann.-4

फार्म नं० एच–2 पेज नं० 539

पुस्तक सं० 11

RCN. 4984/2022-23

वन विभाग उ० प्र० परिधि (वृत्त) प्रयागराज खण्ड (डिवीजन) प्रयागराज
भा० व० अधि० 1927 की धारा 5 (क)
वन्य अपराध .... प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० .... दिनांक 01-10-2022 अधिक्षेत्र (राजि)
व 77 व अन्य संशोधित

1– नाम, पिता का नाम और निवास स्थान — मो० तैय्यब पुत्र स्व० मुसाफिर निवासी नलकूप कालोनी इस्लामाबाद कस्बा फूलपुर, थाना व तहसील–फूलपुर जनपद–प्रयागराज

Steno
[signature]
4/10

2– साक्षी का नाम — (1) श्री राम-चन्द्र यादव, माली फूलपुर रेंज
(2) " अशोक कुमार क्षे० व० अ० फूलपुर

[signature] 3/10

3– कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक — ग्राम लिलहट स्थित मो. तैय्यब की आरा मशीन परिसर में ट्राली मशीन की स्थापना, आम प्रजाति चिरान प्रकाष्ठ 80 नग

4– मूल्य

प्रभागीय निदेशक प्रयागराज महोदय की सेवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

5– चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन — जाँच जारी है।

[signature]
क्षेत्रीय वन अधिकारी
फूलपुर रेंज
प्रयागराज

6– प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय,
दिनांक 01-10-2022 को लगभग 4.00 बजे ग्राम लिलहट स्थित मो० तैय्यब S/o मुसाफिर नि० नलकूप कालोनी फूलपुर प्रयागराज की आरा मशीन पर छापे की कार्यवाही किया गया। आरा मशीन चलती पायी गई। ट्राली मशीन खोलकर सामान रखा था जिससे देर सबेर चलने की सम्भावना पायी गई बरामद कर सीज किया गया। आरा मशीन कानूनी कागज न होने के कारण सील किया गया। 80 नग चिरान आम प्रकाष्ठ आरा मिल मालिक की सुपुर्दगी में दिया गया और H2 केस दर्ज किया।
अतः महोदय की सेवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय
Pushpa
(पुष्पा)
वन रक्षक